आकाशवाणी शिमला

06.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

प्रश्नकाल

प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2 हज़ार 3 सौ 84 आवेदनों को रद्द कर दिया है। सरकार ने ये आवेदन करने वाली महिलाओं को अपात्र पाया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज विधानसभा में विधायक राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी, रणधीर शर्मा, पवन काजल और विनोद कुमार द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में ये बात कही। शांडिल ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ही 15 सौ रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 28 हज़ार 2 सौ 49 महिलाओं को 15 सौ रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। शांडिल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही कुल 2 लाख 45 हज़ार 8 सौ 81 महिलाओं को पहले मिल रही पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में इस साल जनवरी माह से एक हज़ार 6 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 15 सौ रुपए की राशि दी जा रही है और इस पर अभी तक एक करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

शांडिल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण आवेदनों के सत्यापन में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का अनुकरण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी किया जा रहा है, क्योंकि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बना रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक इस योजना के तहत प्रदेश में 7 लाख 88 हज़ार 7 सौ 84 महिलाओं ने 15 सौ रुपए की राशि के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 22 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में लापता होने वाले लोगों को जल्द मृत घोषित करवाने के लिए नियमों में बदलाव करवाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा में लापता हुए लोगों को लेकर विधायक नंद लाल द्वारा पूछे गए एक सवाल के

दौरान दखल देते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है और बार–बार आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में लापता लोगों को सात साल बाद ही मृत घोषित किया जा सकता है। इससे जहां संबंधित परिजनों को भारी दिक्कतें होती हैं, वहीं मृतकों के प्रति भावनाएं भी नहीं रहती।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बीबीएमबी जलाशय से पीने और सिंचाई का पानी उठाने के लिए किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपने हिस्से का 7 दशमलव एक–नौ फीसदी पानी बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उठा सकता है। मुख्यमंत्री ने सदन में इस संबंध एक में अधिसूचना भी रखी। वे आज सदन में नियम–62 के तहत विधायक राकेश जम्वाल द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इस अधिसूचना को कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी के उपायुक्तों को भी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के ईएनसी को भी भेजा जाएगा, ताकि वह बिना किसी रोकटोक के पानी की स्कीमों को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य में बीबीएमबी जो भी आपत्तियां लगा रहा है, उसका मसला बीबीएमबी प्रबंधन से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी को डैम किनारे निकलने वाले रोड और नेशनल हाइवे पर फेंसिंग लगाने के लिए भी कहा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडोह डैम का संचालन उचित मानकों पर नहीं किया जा रहा है। जिस वजह से पिछली बरसात में निचले क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। उन्होंने कहा कि बरसात में बग्गी सुंदरनगर नहर में रिसाव की भी घटनाएं सामने आई हैं।

मॉनसून सत्र

प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन बढ़ा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद मानसून सत्र को एक दिन और बढ़ाने की घोषणा की। मानसून सत्र की अब कुल 11 बैठकें होंगी और सत्र 10 सितंबर तक चलेगा। इससे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सत्र में आज भी अधिक कामकाज है। ऐसे में विपक्ष की मांग पर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर लाई गई चर्चा पर सोमवार तक चर्चा समाप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि

अधिकांश सदस्य इस मुद्दे पर बोलना चाहेंगे। इसलिए सत्र की बैठक एक दिन और बढ़ा दी जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसदीय कार्य मंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि सरकार सत्र को बढ़ाने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सत्र को बढ़ाए जाने का समर्थन किया।

प्रदर्शन

प्रदेश भर में कार्यरत जल रक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जलरक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलरक्षकों को नियमित करने और अनुबंध का समय 12 साल से घटाकर 8 साल कर स्थायी नीति बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतनमान देने की बात कही थी लेकिन ये कब मिलेगा अब इस पर कोई बात नहीं की जा रही है।

.....